

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 286]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 जुलाई 2016—आषाढ़ 22, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2016

क्र. बी-14-3-12-चौदह-2.—बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, बीज परीक्षण प्रयोगशाला, (पवारखेड़ा), नर्मदापुरम को राज्य बीज प्रयोगशाला घोषित करती है जहां बीज विश्लेषकों द्वारा इस अधिनियम तथा बीज नियम, 1968 के अधीन किसी भी अधिसूचित प्रकार या किस्म के बीजों का विहित रीति में विश्लेषण किया जायेगा.

2. यह भी घोषित किया जाता है कि संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश, संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, (पवार खेड़ा), नर्मदापुरम संभाग तथा राज्य के प्रतिनिधि प्रयोगशाला तथा उसके कार्यकरण का निरीक्षण करने या उसकी जांच करने के लिए तथा आवश्यक निर्देश देने के लिये, एतद्द्वारा, प्राधिकृत अधिकारी होंगे.

3. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.एस. धुर्वे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2016

क्र. बी-14-3-12-चौदह-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.एस. धुर्वे, उपसचिव.

Bhopal, the 13th July 2016

No. B-14-3-12-XIV-2.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 4 of the Seeds Act, 1966 (No. 54 of 1966), the State Government, hereby declare the Seed Testing Laboratory, (Pawarkheda), Narmadapuram as State Seed Laboratory where analysis of seeds of any notified kind or variety shall be carried out by Seed Analysis under this Act and the Seed Rules, 1968 in the prescribed manner.

2. It is further declared that the Director, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Madhya

Pradesh, Joint Director, Farmer Welfare and Agriculture Development Department. (Pawarkheda), Narmadapuram Division and representative of the State Government shall be the authorized official to inspect or enquire into laboratory or its working and to give necessary instructions.

3. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. DHURVE, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2016

क्र. बी-14-3-12-चौदह-2.—बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, बीज परीक्षण प्रयोगशाला, जबलपुर को राज्य बीज प्रयोगशाला घोषित करती है जहां बीज विश्लेषकों द्वारा इस अधिनियम तथा बीज नियम, 1968 के अधीन किसी भी अधिसूचित प्रकार या किस्म के बीजों का विहित रीति में विश्लेषण किया जायेगा.

2. यह भी घोषित किया जाता है कि संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश, संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, जबलपुर संभाग तथा राज्य के प्रतिनिधि प्रयोगशाला तथा उसके कार्यकरण का निरीक्षण करने या उसकी जांच करने के लिए तथा आवश्यक निर्देश देने के लिये, एतद्द्वारा, प्राधिकृत अधिकारी होंगे.

3. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2016

क्र. बी-14-3-12-चौदह-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

Bhopal, the 13th July 2016

No. B-14-3-12-XIV-2.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 4 of the Seeds Act, 1966 (No. 54 of 1966), the State Government, hereby declare the Seed Testing Laboratory, Jabalpur as State Seed Laboratory where analysis of seeds of any notified kind or variety shall be carried out by Seed Analysis under this Act and the Seed Rules, 1968 in the prescribed manner.

2. It is further declared that the Director, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Madhya Pradesh, Joint Director, Farmer Welfare and Agriculture Development Department. Jabalpur Division and representative of the State Government shall be the authorized official to inspect or enquire into laboratory or its working and to give necessary instructions.

3. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. DHURVE, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2016

क्र. बी-14-3-12-चौदह-2.—बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, बीज परीक्षण प्रयोगशाला, सागर को राज्य बीज प्रयोगशाला घोषित करती है जहां बीज विश्लेषकों द्वारा इस अधिनियम तथा बीज नियम, 1968 के अधीन किसी भी अधिसूचित प्रकार या किस्म के बीजों का विहित रीति में विश्लेषण किया जायेगा.

2. यह भी घोषित किया जाता है कि संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश, संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सागर संभाग तथा राज्य के प्रतिनिधि प्रयोगशाला तथा उसके कार्यकरण का निरीक्षण करने या उसकी जांच करने के लिए तथा आवश्यक निर्देश देने के लिये, एतद्वारा, प्राधिकृत अधिकारी होंगे।

3. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2016

क्र. बी-14-3-12-चौदह-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

Bhopal, the 13th July 2016

No. B-14-3-12-XIV-2.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 4 of the Seeds Act, 1966 (No. 54 of 1966), the State Government, hereby declare the Seed Testing Laboratory, Sagar as State Seed Laboratory where analysis of seeds of any notified kind or variety shall be carried out by Seed Analysis under this Act and the Seed Rules, 1968 in the prescribed manner.

2. It is further declared that the Director, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Madhya Pradesh, Joint Director, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Sagar Division and representative of the State Government shall be the authorized official to inspect or enquire into laboratory or its working and to give necessary instructions.

3. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. DHURVE, Dy. Secy.